न्यायालय–नरसिंह बघेल, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट इंदौर

Bail No. 2987/2026
CNR No. MP09010-59775-2026
अपराध क्रमांक 414/2026

राजा अली पिता शब्बीर अली,
आयु–24 वर्ष, व्यवसाय– अध्ययन,
निवासी–म.नं.04 इस्लामपुरा, देवास

..... आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र तेजाजीनगर
जिला–इंदौर (म.प्र.) ..... अभियोगी

//आदेश दिनांक 07.08.2026//

आवेदक/आरोपी राजा अली की ओर से श्री अंशुल राठौड अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्री अजय मिमरोट उपस्थित।

पुलिस थाना तेजाजीनगर जिला इंदौर से अपराध क्रमांक 414/2026 धारा 8/20 स्वापक औषधियॉ और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में एन.डी.पी.एस.एक्ट) की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा एमसीआरसी क्रमांक 8227/2023 (दीपक यादव विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी.) में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में विवरण :–

पुलिस थाने का नाम	राउ
अपराध क्रमांक	414/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	27.07.2026
गिरफ्तारी दिनांक	निरंक
अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास	निरंक
जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रक्रम	अन्वेषाधीन
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	निरंक

आवेदक/आरोपी राजा अली की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन होना बताया गया हैं। आरोपी की ओर से उसने स्वयं का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है और अन्य कोई आवेदन किसी भी न्यायालय या उच्च न्यायालय में

प्रस्तुत नहीं किया है और न ही विचाराधीन है।

आवेदक/आरोपी राजा अली की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. में निवेदन किया गया है आवेदक का कथित अपराध से कोई संबंध–सरोकार नहीं है उसे षडयंत्रपूर्वक इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह शहर देवास का स्थायी निवासी है और उसके भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष को सुना गया। अभिलेख एवं प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

अभिलेख अनुसार अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना तेजाजीनगर, इंदौर पर पदस्थ उपनिरीक्षक ए.आर.खान दिनांक 27.07.2016 को अपने स्टाफ के साथ संदिग्धों की चैकिंग के लिये निकले थे। जैसे ही वे नेमावर ब्रिज की ओर जा रहे थे और रालामण्डल कट के आगे पहुंचे तो हनुमान कांकड वनमण्डल गेट के सामने बायपास सर्विस रोड पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मोटरसायकल क्रमांक एमपी41–जेडएच–8407 को चालू करके भागने लगा। उसे घेराबंदी कर पकडा। नाम पूछने पर उसने अपना नाम नफीस पिता गुलाम जकरिया बताया। उसके कंधे पर टंगे पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर उसके बैग से दो पैकेट मिले जिनमें चरस होना बताया। मौके पर बरामद चरस के दोनों पैकेट तौलने पर एक पैकेट का वजन 250 ग्राम और दूसरे पैकेट का वजन 252 ग्राम इस प्रकार कुल 502 ग्राम चरस बरामद हुयी। आवश्यक पंचनामे बनाकर, माल जप्त किया गया। आरोपी नफीस को गिरफ्तार कर थाने लाकर अपराध क्रमांक 414/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया गया। अभी मामला अन्वेषाधीन है।

चरस की अल्प मात्रा 100 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 01 किलो ग्राम निर्धारित है। इस मामले में आरोपी नफीस के आधिपत्य से 502 ग्राम चरस जप्त की गयी है। यह अभिकथित है कि यह चरस आरोपी/आवेदक राजा अली के द्वारा आरोपी नफीस को प्रदाय की गयी थी। आरोपी नफीस शेख व आरोपी राजा अली के मध्य बातचीत की कॉल डिटेल भी प्रस्तुत की गयी है। मामला अन्वेषाधीन है। वैसे भी एनडीपीएस एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत आपवादिक परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिये। अतः मामले में समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी/आवेदक राजा अली को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

परिणामतः आरोपी/आवेदक राजा अली का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापस हो एवं आदेश की एक प्रतिलिपि रिमांड पत्रावली अपराध क्रमांक 414/2026 थाना तेजाजीनगर के साथ रखी जाये।

परिणाम पंजी में दर्ज होकर प्रकरण अभिलेखागार में भेजा जावे।

सही/–

(नरसिंह बघेल)
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट
इंदौर म.प्र.

NAR SINGH BAGHEL

Digitally signed by NAR SINGH BAGHEL
Date: 2026.08.07 17:30:42 +0530